हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

क्रमांकः प.1(ख)(1–3)एचजेयू/प्रशा/मीटिंग/प्र.बो.–वि.बै.–V/3324   दिनांकः 24/9/2024

प्रबंध बोर्ड की पंचम विशेष बैठक दिनांक 20.09.2024 का कार्यवृत्त

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रबंध बोर्ड (Board of Management) की पंचम विशेष बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2024 को अपराह्न 02:30 बजे निर्धारित गणपूर्ति के पश्चात् प्रो. सुधि राजीव, कुलपति महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रबंध बोर्ड के निम्नानुसार माननीय सदस्यगण / पदाधिकारीगण उपस्थित रहें :–

क्र.सं.	उपस्थित पदाधिकारी का नाम	पदनाम
1.	प्रो. सुधि राजीव	कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
2.	श्री मंयक शुक्ला (कोषाधिकारी, जयपुर शहर)	वित्त विभाग के नामनिर्देशित संभागीय आयुक्त, जयपुर के प्रतिनिधि
3.	श्रीमती अलका सक्सेना	अतिरिक्त निदेशक, डीआईपीआर (अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना और जनसम्पर्क विभाग द्वारा नामनिर्देशित), एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
4.	श्री सुनील शर्मा	आयुक्त/निदेशक, सूचना और जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार (ऑनलाइन सहभागिता)
5.	प्रो. अल्पना कटेजा	कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर

राजीव गांधी विद्याभवन | Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग | Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
जयपुर 302 015 (राजस्थान) | JLN Marg, Jaipur 302 015 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

HJU, A UNIVERSITY ESTABLISHED BY AN ACT OF THE RAJ. STATE LEGISLATURE, IS A NATIONAL CENTRE FOR TEACHING, TRAINING AND RESEARCH IN JOURNALISM, MASS COMMUNICATION AND ALLIED FIELDS
पत्रकारिता, जनसंचार और संबंधित विषयों के शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के लिए राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थान

6.	डॉ. ऋचा यादव	कुलपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, एचजेयू, जयपुर
7.	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	कुलपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, एचजेयू, जयपुर
8.	प्रो. अनिल कुमार राय	कुलाधिपति महोदय द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद् सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर (ऑनलाइन सहभागिता)
9.	श्री भागचंद टांकड़ा	राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित राज्य विधानमण्डल सदस्य, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर
10.	श्री भंवर लाल मेहरड़ा	कुलसचिव, एचजेयू एवं सदस्य सचिव, प्रबंध बोर्ड, एचजेयू, जयपुर

बैठक के प्रारंभ में सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया द्वारा उपस्थित समस्त सम्मानित सदस्यगण का स्वागत किया गया तथा विश्वविद्यालय में नवागन्तुक कुलसचिव श्री भंवर लाल मेहरड़ा का सदस्यगण से परिचय करवाया गया।

बैठक के दौरान सदस्य सचिव एवं कुलसचिव ने सदन को अवगत करवाया कि प्रबंध बोर्ड की यह बैठक विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को कॅरियर एडंवासमेन्ट स्कीम (CAS) के तहत प्रोन्नति कार्रवाई के संबंध में आयोजित की गई है तथा बैठक का एकल बिन्दु एजेंडा भी यही है। आगे उन्होंने CAS के संबंध में अबतक की गई कार्रवाई के संबंध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। इस दौरान पूर्व में विद्यापरिषद एवं प्रबंध बोर्ड की बैठकों में इस संबंध में की गई कार्रवाई से भी सदन को अवगत करवाया। आगे CAS का लाभ देने में काफी विलम्ब होने के कारण शिक्षकों में उत्पन्न असंतोष की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित किया। यह भी बताया कि CAS के बाबत राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति ली जाकर राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं यूजीसी के निर्धारित मानदण्डानुसार ही कार्रवाई की जा रही है। तत्पश्चात्

कुलसचिव द्वारा सदस्यगण को अवगत करवाया गया कि CAS के संबंध में गठित स्कीनिंग–कम–इवैल्यूएशन समिति (Screening–Cum–Evaluation Committee) द्वारा यूजीसी विनियमन, 2018 के निर्देशानुरूप मूल्यांकन, जांच एवं छानबीन कर अपनी अनुशंसाऐं सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की है। इन सील बंद लिफाफो को खोले जाने हेतु सदन की अनुमति चाही गई, जिसे सदन द्वारा अनुमत किया गया। चूंकि बैठक में कुलपति द्वारा नामित दो बोर्ड सदस्यों डॉ. ऋचा यादव एवं डॉ. अनिल कुमार मिश्र के उपस्थित होने तथा कॅरियर एडंवासमेन्ट स्कीम (CAS) में इन दोनों शिक्षकों के भी प्रकरण होने के कारण कुलपति महोदया द्वारा इन्हें बैठक से बाहर जाने के लिए निर्देशित किया गया, जिसकी उनके द्वारा पालना की गई।

इसके पश्चात् मूल्यांकन समिति द्वारा CAS बाबत की गई अनुशंसाओं को सदन के समक्ष एक–एक कर कुलपति महोदया द्वारा पढकर सुनाया गया। इस दौरान माननीय विधायक एवं प्रबंध बोर्ड सदस्य श्री भागचंद टांकड़ा ने वित्त समिति की बैठक इस बैठक से पूर्व में आयोजित किये जाने, विश्वविद्यालय के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत एरियर राशि की व्यवस्था, लम्बित जांच के प्रकरणों में प्रोन्नति का लाभ नहीं देने बाबत बिन्दु सदन के समक्ष प्रस्तुत किये। इसी प्रकार के बिन्दु माननीय सदस्य श्री रजत शर्मा द्वारा भी ईमेल के माध्यम से प्रेषित किये गये है। माननीय सदस्य श्री सुनील शर्मा, आयुक्त डीआईपीआर द्वारा राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों एवं यूजीसी की अधिसूचना, 2018 द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं प्रकिया का पालन किये जाने की सुनिश्चिता की बात कही तथा यह भी बताया कि वित्तीय उपलब्धता के आधार पर पात्र शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिए जाने से वंचित रखा जाना न्याय संगत नहीं है।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में कुलपति महोदया द्वारा तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करते हुए सदन को अवगत करवाया कि शिक्षकों को CAS के तहत प्रोन्नति की कार्रवाई राज्य सरकार से विधिवत अनुमति लेकर उनके द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करते हुए की जा रही है तथा यूजीसी विनियम, 2018 में निर्धारित पात्रता मानदण्डों की पालना भी की जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार का शिथिलन नहीं दिया गया है। केवल पात्र शिक्षकों जिनके विरूद्ध कोई जांच लम्बित नहीं है, को ही प्रोन्नति का लाभ दिया जा रहा है। जहां तक CAS प्रोन्नति देने से अतिरिक्त वित्तीय भार को वहन करने का प्रश्न है, इस समय विश्वविद्यालय इस अतिरिक्त भार को वहन करने की स्थिति में नहीं है। इसकी स्थापना में सन् 2019 में हुई है तथा यह शत प्रतिशत राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय है। अतः नव स्थापित होने के कारण स्वयं के वित्तीय संसाधन नहीं है। शिक्षकों की नियुक्ति 2013 में होने तथा 10 वर्षों की सेवावधि

राजीव गांधी विद्याभवन | Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग | Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
जयपुर 302 015 (राजस्थान) | JLN Marg, Jaipur 302 015 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

के बाद भी प्रोन्नति नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय शिक्षकों को CAS का लाभ देने हेतु दायित्वबद्ध है। इस प्रकार की स्थिति राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है। इसी कारण विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को CAS के कारण उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार राशि हेतु राज्य सरकार से निवेदन किया गया था तथा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान में इस हेतु 50.00 लाख रूपये राशि प्रावधित है। इस राशि को चालू वित्त वर्ष में व्यय करने हेतु प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की स्वीकृति हेतु निवेदन किया जाना है। आगे उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षकों को वेतन एरियर का भुगतान राज्य सरकार से इस निमित्त राशि की स्वीकृति एवं प्राप्ति होने पर ही किया जाएगा। वास्तविक वित्तीय भार की गणना सक्षम स्तर से आदेश जारी होने के पश्चात् की जाएगी। विश्वविद्यालय की वार्षिक निजी आय लगभग 35.00 लाख रूपये ही है, जो विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में वित्त विभाग के प्रतिनिधि सदस्य श्री मंयक शुक्ला, कोषाधिकारी, जयपुर द्वारा CAS राशि हेतु BFC में किए गए प्रावधान, BFC के कार्यवृत्त एवं निजी आय ब्यौरा का अवलोकन किया गया। उक्तानुसार उठाये गये बिन्दुओं के बाबत अध्यक्ष महोदया के स्पष्टीकरण से सहमत होने के पश्चात् सदन द्वारा सील बंद लिफाफे में प्राप्त विश्वविद्यालय शिक्षकों की CAS बाबत गठित स्कीनिंग–कम–इवैल्यूएशन समिति (Screening–Cum–Evaluation Committee) द्वारा उनके मिनिट्स में की गई अनुशंसाओं को अनुमोदित किया जाकर इनसे संबंधित निम्नानुसार प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया :

कार्य सूची संख्या	कार्य का संक्षिप्त विवरण
विशेष–V-1	विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को कॅरियर एडंवासमेन्ट स्कीम (CAS) के तहत प्रोन्नति दिए जाने के लिए अब तक की गई कार्रवाई तथा स्क्रीनिंग कम इवैल्यूएशन समिति द्वारा प्रस्तुत बंद लिफाफे खोले जाने एवं समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा का अनुमोदन एवं आगामी कार्रवाई हेतु विचार विमर्श।
	<u>प्रस्ताव संख्या : 01</u> मीडिया अध्ययन विभाग के अन्तर्गत सहायक प्रोफेसर एकेडमिक लेवल–10 से एकेडमिक लेवल–11 में निम्नानुसार शिक्षकों को प्रोन्नत किया जावें :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एकेडमिक लेवल–11 में प्रोन्नति हेतु अर्हता तिथि	विशेष विवरण
1.	डॉ. शालिनी जोशी	असिस्टेंट प्रोफेसर	21.12.2019	
2.	डॉ. अनिल कुमार मिश्र	असिस्टेंट प्रोफेसर	02.12.2017	
3.	डॉ. रतन सिंह शेखावत	असिस्टेंट प्रोफेसर	11.10.2019	

उक्तानुसार प्रस्ताव संख्या–01 का सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या : 02</u>

इलैक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के अन्तर्गत सहायक प्रोफेसर एकेडमिक लेवल–10 से एकेडमिक लेवल–11 में निम्नानुसार शिक्षकों को प्रोन्नत किया जाए :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एकेडमिक लेवल–11 में प्रोन्नति हेतु अर्हता तिथि	विशेष विवरण
1.	डॉ. अजय कुमार सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर	30.09.2017	
2.	डॉ. ऋचा यादव	असिस्टेंट प्रोफेसर	30.12.2017	
3.	श्रीमती गरिमा श्री	असिस्टेंट प्रोफेसर	09.10.2019	

उक्तानुसार प्रस्ताव संख्या–02 का सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

राजीव गांधी विद्याभवन | Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग | Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
जयपुर 302 015 (राजस्थान) | JLN Marg, Jaipur 302 015 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

HJU, A UNIVERSITY ESTABLISHED BY AN ACT OF THE RAJ. STATE LEGISLATURE, IS A NATIONAL CENTRE FOR TEACHING, TRAINING AND RESEARCH IN JOURNALISM, MASS COMMUNICATION AND ALLIED FIELDS
पत्रकारिता, जनसंचार और संबंधित विषयों के शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के लिए राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थान

प्रस्ताव संख्या : 03

इलैक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के अन्तर्गत सहायक प्रोफेसर एकेडमिक लेवल–11 से एकेडमिक लेवल–12 में निम्नानुसार शिक्षकों को प्रोन्नत किया जाए :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एकेडमिक लेवल–12 में प्रोन्नति हेतु अर्हता तिथि	विशेष विवरण
1.	डॉ. अजय कुमार सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर	30.09.2022	
2.	डॉ. ऋचा यादव	असिस्टेंट प्रोफेसर	30.12.2022	

उक्तानुसार प्रस्ताव संख्या–03 का सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या : 04

स्कीनिंग–कम–इवैल्यूएशन समिति(Screening–Cum–Evaluation Committee) की अनुशंसानुरूप मीडिया अध्ययन विभाग में सहायक प्रोफेसर एकेडमिक लेवल–11 से एकेडमिक लेवल–12 के लिए किसी भी अभ्यर्थी को पात्र नहीं पाया गया।

उक्तानुसार प्रस्ताव संख्या–04 का सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या : 05

राज्य सरकार द्वारा CAS हेतु जारी स्वीकृति दिनांक 24.07.2023 के बिन्दु संख्या–3 की अनुपालना एवं प्रबंध समिति के सदस्यगण के अभिमत के अनुसार डॉ. मनोज कुमार लोढा, एसोसिएट प्रोफेसर–मीडिया अध्ययन विभाग के विरूद्ध शिकायत संबंधी कार्रवाई लम्बित होने के कारण CAS प्रोन्नति संबंधी सीलबंद लिफाफा नहीं खोला जाए।

	उक्तानुसार प्रस्ताव संख्या–05 का सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। **प्रस्ताव संख्या : 06** स्कीनिंग–कम–इवैल्यूएशन समिति(Screening–Cum–Evaluation Committee) द्वारा अनुशंषित अर्हता तिथि से पात्र शिक्षकों के नियमानुसार वेतन नियतन (Pay Fixation) की कार्रवाई एवं तद्नुसार वेतन भत्तों का भुगतान सक्षम स्तर से प्रसारित आदेशानुसार किया जाना। वेतन एरियर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा CAS अन्तर्गत प्रोन्नति के संबंध में समय–समय पर जारी आदेश निर्देश के अनुरूप किया जाना एवं वेतन एरियर का भुगतान राज्य सरकार से इस निमित्त राशि प्राप्त होने पर ही किया जाना। वित्त विभाग द्वारा CAS हेतु वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान में प्रावधित राशि को आवंटित करवाने हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई किया जाना। उक्तानुसार प्रस्ताव संख्या–06 का सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

उक्त प्रस्तावानुसार आगामी कार्रवाई किए जाने हेतु सदन द्वारा सर्वसम्मति से कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया। अन्त में कुलसचिव महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक का समापन किया गया।

सुधि राजीव

(प्रो. सुधि राजीव)
कुलपति

(भंवर लाल मेहरड़ा)
कुलसचिव

राजीव गांधी विद्याभवन | Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
सर्वेपल्ली राधाकृष्णन शिक्षासंकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग | Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
जयपुर 302 015 (राजस्थान) | JLN Marg, Jaipur 302 015 (Rajasthan), India
+91 141 2710123 | registrar.hju@gmail.com | www.hju.ac.in

HJU, A UNIVERSITY ESTABLISHED BY AN ACT OF THE RAJ. STATE LEGISLATURE, IS A NATIONAL CENTRE FOR TEACHING, TRAINING AND RESEARCH IN JOURNALISM, MASS COMMUNICATION AND ALLIED FIELDS
पत्रकारिता, जनसंचार और संबंधित विषयों के शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के लिए राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थान